



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 830) पटना मंगलवार 21 जुलाई 2026

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

8 जून 2026

सं० जी/सेना-05-04/2025/6199—युद्धाभ्यास, खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम 5, 1938) की धारा 9 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, इसके द्वारा सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से कम से कम 2 महीना बीत जाने पर, उक्त धारा की उप धारा-(2) के अधीन इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची के संपूर्ण क्षेत्र में या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में दिनांक-09.03.2026 से आरंभ होने वाली और दिनांक-08.03.2036 को समाप्त होने वाली 10 वर्षों की अवधि के दौरान मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत करने के लिए अधिसूचना जारी करने का अपना अभिप्राय अधिसूचित करते हैं। उक्त धारा की उप धारा-(1) के अपेक्षानुसार, उक्त क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में, जिसके भीतर दिनांक-09.03.2026 से आरंभ होने वाली और दिनांक-08.03.2036 को समाप्त होने वाली 10 वर्षों की अवधि के दौरान आवधिक रूप में मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है, परिभाषित करने वाली अधिसूचना दिनांक-13.03.2026 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सं०-2651 दिनांक-12.03.2026 द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

भूमि के नक्शा (लैंड प्लान) का निरीक्षण समाहर्ता, सुपौल के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

स्थान का नाम—रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र, सशस्त्र सीमा बल, सुपौल में 100 मीटर सेमी इंडोर बफल रेंज, जिला—सुपौल, बिहार।

क्र०	प्रस्तावित भूमि	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	चौहदी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100 मीटर सेमी इंडोर बफल रेंज, आरटीसी, एसएसबी, सुपौल	आसनपुर कुपहा	93	346	361	38डी0	उ0— खेसरा सं0—361 का अंश द0— खेसरा सं0—361 का अंश पूर्व— खेसरा सं0—361 का अंश प0— खेसरा सं0—361 का अंश

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

8 जून 2026

सं० जी/सेना-05-04/2025/6199 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

The 8th June 2026

No. G/Sena-05-04/2025-6199—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act No 5 of 1938), the Governor of Bihar is hereby pleased to notify his intention to authorise under sub-section (2) of the said section of the Act to carry out field firing and artillery practice throughout the area in the Schedule hereto annexed or in its any specified part during the period of 10 years commencing from dated-09.03.2026 and ending with the date-08.03.2036. A notification as required by sub-section (1) of the said section, defining the said area as an area within which for the period of 10 years commencing from dated-09.03.2026 and ending with the date-08.03.2036. the carrying out periodically of field firing and artillery practice may be authorized, has been previously published in the extraordinary issue of Bihar official Gazette, dated-13.03.2026 with S.O.-2651 dated-12.03.2026.

The map of land (land plan) may be inspected in the office of District Magistrate, Supaul.

Schedule

Name of the Place-100 meter Semi Indoor Baffle Range, RTC, SSB, Supaul,
District-Supaul, Bihar.

S.L. No.	Proposed Land	Mauja	Thana	Khata No.	Plot No.	Area	Boundary
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100 meter Semi Indoor Baffle Range, RTC, SSB, Supaul	Asanpur Kupaha	93	346	361	38 Dec	North- Plot No.-361 Part South- Plot No.-361 Part East- Plot No.-361 Part West- Plot No.-361 Part

*By the order of the Governor,
Sd. Illegible,
Special Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 830-571+25-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>